(अन्तिम स्मरण पत्र)
अति–महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"लेखा / बजट वर्ग" उत्तराखण्ड़ देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

पत्र सं0 101 /78 बजट (एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दिनॉक 23 / 05 / 2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता / परियोजना निदेशक(पी0एम0यू0, ए0डी0बी0)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून / टिहरी / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पिथौरागढ़।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़को तथा सेतुओं के पुनःनिर्माण / तत्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के अर्न्तगत धनाबंटन के सापेक्ष व्यय के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–10 / 78 बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 17–18 दिनांक–05.04.18 पत्रांक–21 / 78बजट (एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0–09.04.2018, पत्रांक–25 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0–27.04.2018 एंव पत्रांक–88 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0–16.05.2018 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो का सन्दर्भ ग्रहण करें । अत्यन्त खेद का विषय है कि सन्दर्भित पत्रो द्वारा आपको वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़को तथा सेतुओं के पुनःनिर्माण / तत्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F.) मद अनुदान सं0–06 लेखाशीर्षक 2245–05–101–02–00–42 में अब तक खण्डो को कार्यवार रू 2431.66 लाख की धनराशि के आबंटन के सापेक्ष माह मार्च 2018 तक के व्यय की कार्यवार / खण्डवार सूचना, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित क्षेत्रीय स्तर पर संकलित कर कमशः निम्न तिथियों में दिनांक–10.04.18, दि0–30.04.18 एंव दि0–20.05.18 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आतिथि तक भी सूचना आपसे अप्राप्त है ।

विगत वर्ष में एस0डी0आर0एफ0 मद में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2018–19 में उक्त मद में धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब उक्त मद में गत वर्ष की कार्यवार व्यय की सूचना उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी अतः अन्तिम स्मरण पत्र के साथ आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F.) मद में कार्यवार / खण्डवार आबन्टित धनराशि के सापेक्ष माह मार्च 2018 तक व्यय विवरण पूर्व सलग्न कार्यवार सूची के आधार पर तैयार तथा कार्यवार उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित, क्षेत्र स्तर पर संकलित करने के उपरान्त दि0–28.05.18 को सम्बन्धित एंव भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी स्वंय** इस कार्यालय के बजट वर्ग में लेखाकार श्री परिहार को वाछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे अन्यथा विवश होकर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर आपका नाम शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगे। अतः अविलम्ब कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

23/5

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून